

क्षेत्राधिकार कार्यालय उप निबन्धक प्रथम
प्रतिज्ञा पत्र विक्रय बिला कब्जा
आवंटित वी. कोड:- 1080

महायदा मूल्य :- 71,50,000 / -रुपये
अग्रिम धन :- 17,00,000 / -रुपये
स्टाम्प शूलक :- 1,43,000 / -रुपये

हम कि ममनून अली (AADHAR NO-2630 9428 8389) व मौहम्मद अली

Mohammad Ali

Mohammad

मौहम्मद



अकराम

A. Qasbi

A. Wahid



खुशवंत

Qasbi

Shalevi Gupta





5 472771



A



A. W. 2010/10



Shalini

2

(AADHAR NO-6450 0554 5200) व मौहम्मद अहमद (AADHAR NO-4052 1628 9772) पुत्रगण मकसूद अली व मौहम्मद इनाम (AADHAR NO-4755 0089 0874) व मौहम्मद इकराम (AADHAR NO-8814 7549 2316) व अब्दुल कादिर (AADHAR NO-6835 2300 2975) व अब्दुल

Makhsud



Mohammed Ali MAHMOOD



MAHMOOD



MAHMOOD



Sarfaraz



A. Qadir



A. W. 2010/10



Shalini



Shalini



Shalini Gupta





3

वाहिद (AADHAR NO-6976 7503 0507) पुत्रगण स्वर्गीय श्री सदाकत अली व श्रीमति खुरशैदी (AADHAR NO. 9724 1050 5964) पत्नी स्वर्गीय श्री सदाकत अली निवासीगण ग्राम सूजडू परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर प्रथम पक्ष व वसुन्धरा इन्फ्राबिल्ड प्रा०लि० (PAN NO-AADCV8074B) वसुन्धरा रैजीडेन्सी परिक्रमा मार्ग सरकुलर रोड शहर मुजफ्फरनगर परगना व



Mohammad Ali

M. Ahmad

21/05/2012



A. Wahid



श्रीमति खुरशैदी



Shalini Gupta





सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



Certificate No.	: IN-UP03070162115998P
Certificate Issued Date	: 10-Apr-2017 12:01 PM
Account Reference	: NONACC (BK)/ upcbibk02/ MUZAFFARNAGAR2/ UP-MJF
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUPCBIBK0203681500874916P
Purchased by	: VASUNDHARA INFRABUILD P L TH DIR AMIT KUMAR AND OT
Description of Document	: Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	: AGRICULTURE LAND SITUATED AT VILL SUJRU, KHASRA NO-2155, PARGANA, MUZAFFARNAGAR
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: MAMNUN ALI SO MAKSUDH ALI AND OTHERS
Second Party	: VASUNDHARA INFRABUILD P L TH DIR AMIT KUMAR AND OT
Stamp Duty Paid By	: VASUNDHARA INFRABUILD P L TH DIR AMIT KUMAR AND OT
Stamp Duty Amount (Rs.)	: 1,43,000 (One Lakh Forty Three Thousand only)



-----Please write or type below this line-----

तहसील व जिला मुजफ्फरनगर द्वारा डायरेक्टर अमित कुमार पुत्र श्री विरेन्द्र

Mamun

Mohammed Ali, *Mahmed*

मोहम्मद

अमित

A. Qader

A. Wahid

अमित

अमान

Shalini Gupta

0006056391

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at www.indiaestamp.com. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



पाल सिंह निवासी मकान नम्बर 438/28 मौहल्ला सुमन विहार शहर मुजफ्फरनगर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर व जय अम्बे डेवलेपर्स 273/1 सिविल लाईन उत्तरी मुजफ्फरनगर द्वारा पार्टनर श्रीमति शालिनी गुप्ता (AADHAR NO-6718 7702 2504) पत्नी श्री मुनीश कुमार निवासी मकान नम्बर 84/3बी नई मण्डी मुजफ्फरनगर द्वितीय पक्ष के है।

जो कि निम्नलिखित सम्पत्ति तन्हा प्रथम पक्ष की पैतृक सम्पत्ति है, और जिसके बारे मे प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार हर किस्म प्राप्त है। निम्नलिखित सम्पत्ति प्रथम पक्ष के कब्जे व अधिकार मे है, और जो इस समय तक हर प्रकार के भार बन्धक आदि से कतई स्वच्छ एवं मुक्त है। किसी वित्तीय संस्थान या व्यक्तिगत वित्तीय संस्थान मे बन्धक नहीं है, और न ही किसी जमानत मे दी हुई है, और जिसके बारे मे प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार हर किस्म प्राप्त है।

Hand


Mohammed Ali Mahomed

अ. ० २१४







Schulh


A. Qader


A. Warid


श्रीमति शालिनी गुप्ता


Shaman


Shalini Gupta


प्रथम पक्ष ने निम्नलिखित सम्पत्ति के बेचने का सौदा द्वितीय पक्ष से कर रहा है। अतः प्रथम पक्ष ने स्वेच्छा तथा प्रसन्नता व स्वस्थ मस्तिष्क की दशा में होकर अपनी निम्नलिखित सम्पत्ति को मय उससे सम्बन्धित अपने समस्त अधिकारों के न रखने शेष किसी भी अधिकार के अपनी आवश्यकता वश अपने परिवार के परामर्श व सहमति से निम्नलिखित सम्पत्ति के बेचने के सौदा इकहत्तर लाख पचास हजार 71,50,000/-रुपये में द्वितीय पक्ष को किया है, और द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष की निम्नलिखित सम्पत्ति को मौके पर देख लिया है, और समझ लिया है, और उसके आकार प्रकार तथा उसमें प्रथम पक्ष के अधिकारों के

Hand



Mohammed Ali Mahmood



श्री १-१३



इमरान



A. Gokul



Awarid



श्री १-१३



Shuman



Shalini Gupta



प्रति अपनी पूरी जानकारी और तसल्ली कर ली है कि यह सही है, और द्वितीय, प्रथम पक्ष की निम्नलिखित सम्पत्ति को उक्त मूल्य में क्रय करने के लिये तैयार है, दोनो पक्ष बैनामे के निष्पादन व रजिस्ट्री के लिये दिनांक 11-11-2018 ई0 तक का समय निश्चित करते हैं, प्रथम पक्ष ने मुबलिग सतरह लाख 17,00,000/-रुपये अग्रिम धन में द्वितीय पक्ष से चैक्स एच0डी0एफ0सी0 बैंक द्वारा प्राप्त किये हैं। जो बैनामे के निष्पादन के समय जरे कीमत में मुजरा किये जावेगे तथा शेष जरे कीमत द्वितीय पक्ष बैनामे के समय अदा करेगा। अतः दोनो पक्ष बैनामे के निष्पादन व रजिस्ट्री के लिये निम्न धाराओ के पाबन्द रहेगे।

Mohammad Ali


Mohammad Ali



M. Ali



M. Ali



Shahin


A. Dadi


A. Wajid



Shahin


Shahin


Shahin Gupta



नं01:- यह कि प्रथम पक्ष उपरोक्त निश्चित की गई अवधि के अन्तर्गत जब भी द्वितीय पक्ष बैनामा कराना चाहे अपनी निम्नलिखित सम्पत्ति का बैनामा तय की गई उक्त धनराशि में बहक द्वितीय पक्ष बिना किसी आपत्ति के कर देगा यदि प्रथम पक्ष उक्त अवधि के अन्तर्गत द्वितीय पक्ष के बैनामा कराने के बावजूद बैनामा नकरे तो द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह शेष विक्रय मूल्य अदालत के अधिकार में जमा करके बैनामा द्वारा अदालत अपने हक में करा लेवे इसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति न होगी। नं02:- यह कि यदि उपरोक्त अवधि के भीतर प्रथम पक्ष के बैनामा करने के बावजूद, द्वितीय पक्ष बैनामा न कराये और कराने से इन्कार करे, तो ऐसी समस्त दशाओ में द्वितीय पक्ष को दिया हुआ

Plam



Mohammad Ali



MALVIA



2002-12



SARIN



A. GADGI



Awarhid



Shalini Gupta



Shaman



Shalini Gupta



अग्रिम धन जब्त माना जावेगा और प्रथम पक्ष अग्रिम धन वापिस लौटाने का पाबन्द न होगा तथा निम्नलिखित सम्पत्ति उक्त शर्तों की पाबन्दी से मुक्त मानी जावेगी। नं०३:- यह कि शेष विक्रय मूल्य, द्वितीय पक्ष रजिस्ट्री समय प्रथम पक्ष को अदा करेगा और बैनामे के निष्पादन एव रजिस्ट्री का कुल खर्च बजिम्मे द्वितीय पक्ष रहेगा। यदि प्रथम पक्ष के बैनामा न करने की दशा में द्वितीय पक्ष को बैनामे के निष्पादन की कार्यवाही अदालत में करनी पड़ी तो जो खर्च अदालत में होगा बजिम्मे प्रथम पक्ष रहेगा। जिसे द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष से प्राप्त करने का अधिकार होगा। नं०४:- यह कि द्वितीय पक्ष को अधिकार

Plaid



Mohammed Ali



Shahin



Shahin



A. Radin



A. Wotid



Shahin



Shahin



Shahin



Shahin Gupta



होगा बैनामा स्वयं अपने नाम या अपने साथ अपने से सम्बन्धित व्यक्ति एक या एक से अधिक को शामिल करके कराये इसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति न होगी। यदि प्रथम पक्ष को बैनामा करने के लिये निम्नलिखित सम्पत्ति की बाबत कोई अनुमति किसी न्यायालय या विभाग या कार्यालय से प्राप्त करने की आवश्यकता हुई तो वह अनुमति प्रथम पक्ष अपने खर्चे से प्राप्त करके उसकी लिखित सूचना द्वितीय पक्ष को देकर बैनामा करने का पाबन्द होगा। नं०5:- यह कि प्रथम पक्ष ने अपनी निम्नलिखित सम्पत्ति का कोई प्रतिज्ञा पत्र विक्रय नहीं

Hanif



Mohammad Aq.



M. Ahmed



अशोक



अशोक



A. Qadri



A. Wahid



अशोक



A. Khan



S. S. Gupta



किया हुआ है और न ही किसी भी तरीके से हस्तान्तरित है और न ही भविष्य में करेगा। नं06:- यह कि निम्नलिखित सम्पत्ति पर द्वितीय पक्ष को कब्जा बैनामे के निष्पादन के समय दिया जावेगा तब तक प्रथम पक्ष का ही कब्जा रहेगा। नं07:- यह कि बैनामे के निष्पादन के समय सम्पत्ति निम्नलिखित पर यदि कोई मतालबा सरकारी या गैर सरकारी किसी भी तरह का प्रथम पक्ष की ओर देय व बकाया हुआ तो प्रथम पक्ष उसे अदा अदा व बेबाक करते हुये बैनामा बहक द्वितीय पक्ष करने का पाबन्द रहेगा। नं08:- यह कि प्रथम पक्ष अन्दर

Mohammad Ali



Mohammad Ali



Mohammad



अप्रो २१/१५



अप्रो २१/१५



A. Radia



A. Radia



अप्रो २१/१५



A. Radia



Radia Gupta



मियाद सम्पत्ति निम्नलिखित का बैनामा बहक द्वितीय पक्ष करने के पाबन्द होंगे यदि परिस्थितिवश प्रथम पक्ष की किसी कमी के कारण या मौके पर उत्पन्न विवाद के कारण प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के हक में बैनामा नहीं कर पाते हैं, तो उत्पन्न समस्या के निपटाने की दिनांक से अन्दर मियाद दो 2 माह बैनामा करने के पाबन्द होंगे। यह कि उक्त शर्तों के दोनो पक्ष व उनके वारसान पूर्ण पाबन्द हैं, और भविष्य में भी पाबन्द रहेंगे। अस्तु यह प्रतिज्ञा पत्र विक्रय लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति:-

विवरण सम्पत्ति स्थित ग्राम सुजडू परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर:- जो कि कृषि भूमि खतौनी वर्ष 1419 ता 1424 फसली के





Mohammad Ali



M. Ali



Sh. S. M.



S. M.

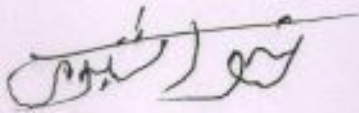


A. Badli



A. Badli







G. M.



Shalini Gupta



खाता संख्या 648 के नंबर खसरा 2155/0.8680 हैक्टेयर का 5465/8680
भाग भागानुसार क्षेत्र 0.5465 हैक्टेयर मय जुमला हक व हकूक हर किस्म।
नोट:- छठे 10 की सलर 3 में शब्द देगी में बाड़ की सलर व सलर 4 व 5 में
व सलर 6 में शब्द नोट प्रक की पहली शब्द मटी है।

Muhammad Ali Muhammad

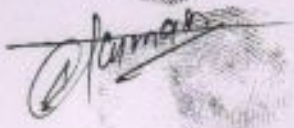
सही 2 नम



सही 2 नम



A. Qadri



Shalini Gupta

साक्षी

साक्षी

सही

Shalini Gupta

योगेन्द्र कुमार काम्बोज
एडवोकेट तहसील

तहरीर ता0:- 10-04-2017 ई0

ड्राफ्टकर्ता:- योगेन्द्र कुमार काम्बोज एडवोकेट तहसील सदर मुजफ्फरनगर

Shalini Gupta

आज दिनांक 13/04/2017 को
वही सं. 1 जिल्द सं. 9927
पृष्ठ सं. 311 से 356 पर कमांक 2565
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


श्रीमती रश्मि प्रभा (नरेश कुमार नि०सहायक)
उपनिबन्धक प्रथम
मुजफ्फरनगर
13/4/2017